सिविल जज (सी0डी0)/त्वरित न्यायालय गाजियाबाद

(नमूना काबिले फरोख्त)

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय त्वरित न्यायालय, सीनियर डिवीजन, गाजियाबाद।

मूल वाद संख्या 133 सन् 2018

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा

श्री दीनानाथ पुत्र श्री महादेव, आयु करीब 55 वर्ष,

अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. राकेश कुमार सिंघल पुत्र श्री शिवचरन, निवासी फ्लैट संख्या 3, के0वी0 नम्बर 1, एयरफोर्स स्टेशन हिण्डन, गाजियाबाद।
2. श्रीमति अंजली गर्ग पत्नि श्री प्रवीन गर्ग, निवासी के0एम0–41, कविनगर, गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बावत दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 14 माह 08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जबाब दे सकें या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

अपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 03 माह 08 सन्19 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते है, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पडें।

आज्ञा से मुन्सरिम्,

गाजियाबाद।

सिविल जज (सी0डी0)/ त्वरित न्यायालय गाजियाबाद